



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 150-2019/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 2019 (BHADRA 13, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

आदेश

दिनांक 4 सितंबर, 2019

संख्या 78/जीएसटी-2.- चूंकि, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 44 की उपधारा (1) यह उपबंधित करती है कि इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या 52 के अधीन कर भुगतान करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उत्तरवर्ती दिसम्बर के इकतीसवें दिन को या उससे पूर्व ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में इलैक्ट्रानिक रूप में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा ;

और, चूंकि, उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के प्रयोजन हेतु करदाताओं को कतिपय तकनीकी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप, उक्त उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रथम जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के लिए उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की जा सकी और इसके कारण उक्त धारा के उपबन्धों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उत्पन्न हुई हैं ;

इसलिए, अब, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, आदेश करते हैं कि हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, आदेश संख्या 01/जीएसटी-2, दिनांक 01 जनवरी, 2019 में, विद्यमान "31 अगस्त, 2019" अंकों, शब्द और चिह्न के स्थान पर, "30 नवंबर, 2019" अंक, शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Order

The 4th September, 2019

No. 78/GST-2.— WHEREAS, sub-section (1) of section 44 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) provides that every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return for every financial year electronically in such form and manner as may be prescribed on or before the thirty-first day of December following the end of such financial year;

AND WHEREAS, for the purpose of furnishing of the annual return electronically for every financial year as referred to in sub-section (1) of section 44 of the said Act, certain technical problems are being faced by the taxpayers as a result whereof, the said annual return for the period from the 1st July, 2017 to the 31st March, 2018 could not be furnished by the registered persons, as referred to in the said sub-section (1) and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said section;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 172 of the said Act, the Governor of Haryana, on recommendations of the Council, hereby orders that in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Order No.01/GST-2, dated the 1st January, 2019, for the existing figures, letters and word “31st August, 2019”, the figures, letters and word “30th November, 2019” shall be substituted.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.